दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
1-7-24	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 26-7-24 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
6/7/24	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थीगण उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा०प० किये गये। विपक्षीगण को कितनी बार रूक-रूक कर आवाजे दिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नहीं। इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है वकील प्रार्थीगण का प्रा०पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा०प० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

नम्बर म ...
अहलकाम ...
हुक्म की ...
में जारी ...

राजस्थान – सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– मनोज, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या – 268/24 प्रा०पत्र

श्री मनीष s/o हनुमन्त माहेश्वरी निवासी बिलावनगर तह० माण्डल (उर्फ़)

प्रार्थी

बनाम

साईं लीला सिन्थेटिक्स प्रा० लि० श्री नन्दलाल पालीवाल नि० आर.के. कॉलोनी भीलवाड़ा (अध्य०)
(प्रहारित प्रबन्धसंचालक)

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक– 26.7.24

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया के ग्राम......गुढा......पटवार हल्का......संतोकपुरा......तहसील माण्डल मे उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी न०569, 572, 577, 720/577 कुल किता......04......रकबा......0.9465 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे दिनांक ......11.7.24...... को पंजीबद्ध किया जाकर पत्रावली के अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जो काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए प्रासंगिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम......गुढा......पटवार हल्का......संतोकपुरा......तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं......569, 572, 577, 720/577 कुल किता......04......रकबा......0.9465 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक......मौजा......को......500......रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी मे मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए गुरुत्वकीय बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नही की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस मे प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा